

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद-झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या-26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झांसी हंसारी
से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण /चार लेन
में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग
एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

Proposalसंख्या-FP/UP/Road/38827/2019

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1951/81-2-2019-
800(64)/2019, दिनांक 27.09.2019 के द्वारा
प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान किया गया ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 27/09/19

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उ० प्र० शासन